उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404

संख्या :: 75 /06/E-3/DR(P.A.H.C.)/2024-25 दिनांक :: 06 नवम्बर 2026

विस्तृत विज्ञप्ति

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान में वैयक्तिक सहायक परीक्षा–2025

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के अधिष्ठान में वैयक्तिक सहायक परीक्षा–2025 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–A-4/E-3/DR(H.C.P.A.)/2024-25, दिनांक 25 दिसम्बर 2025 के सापेक्ष द्वितीय प्रश्नपत्र के अन्तर्गत दिनांक **22 जुलाई 2026 को आयोजित अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा** का परीक्षा परिणाम पत्रांक–**55/39/HCAP Exam-2025/G-1/2026-27 दिनांक 27 अक्टूबर 2026** को घोषित किया गया है।

02. अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित **05 अभ्यर्थियों** द्वारा **प्रथम प्रश्नपत्र–सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकृति), अंग्रेजी भाषा (लिखित/परम्परागत प्रकृति)** की परीक्षा हेतु शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर दिये गये लिंक का प्रयोग कर परीक्षा शुल्क जमा करते हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित दावों के समर्थन में चैकलिस्ट के अनुसार समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, ऑनलाइन आवेदन–पत्र के प्रिंट आउट के साथ आयोग की वेबसाइट पर मुख्य परीक्षा हेतु उपलब्ध आवेदन–पत्र (2), प्रमाणीकरण प्रपत्र (3) एवं देशना प्रपत्र (4) को डाउनलोड कर भरते हुए निर्धारित **अंतिम तिथि 29.11.2026** तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

03. प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा हेतु आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् है–

1.	उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment के माध्यम से जमा किये जाने की **प्रारम्भिक तिथि–**	दिनांक 09.11.2026
	उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment के माध्यम से जमा किये जाने की **अंतिम तिथि–**	दिनांक 29.11.2026 तक
3.	उक्त परीक्षा हेतु भरे गये आवेदन–पत्र (आवेदन–पत्र (2), प्रमाणीकरण प्रपत्र (3) एवं देशना प्रपत्र, (4) तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावे के आधार पर अपने समस्त शैक्षणिक अभिलेख/आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्रों सहित **आयोग कार्यालय में डाक के माध्यम से प्रेषित किये जाने की अंतिम तिथि।**	दिनांक 29.11.2026 तक

नोट– उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

04. प्रश्नगत परीक्षा हेतु श्रेणी/उपश्रेणीवार शुल्क निम्नवत् हैः–

क्र0सं0 (S.No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
1	अनारक्षित	रु0 150.00	रु0 16.36	रु0 166.36
2	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु0 150.00	रु0 16.36	रु0 166.36
3	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	रु0 60.00	रु0 16.36	रु0 76.36
4	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु0 150.00	रु0 16.36	रु0 166.36
5	शारीरिक दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	रु0 16.36	रु0 16.36
6	उत्तराखण्ड राज्य मे संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहो में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट :– **1.** उत्तराखण्ड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा–अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

2. उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या– 1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 एवं शासन के पत्र सं0– 232/XXX(2)/2018/30(05)/2014 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के क्रम में विज्ञापित पदों के सापेक्ष चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छुट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रू 16.36 देय होगा।

6. आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से उक्त परीक्षा का शुल्क जमा करने वाले समस्त अभ्यर्थी, वेबसाइट पर उपलब्ध चैक लिस्ट के अनुसार प्रपत्र–2, प्रपत्र–3, प्रपत्र–4 को सम्यक रूप से भरते हुए मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने के पश्चात स्वहस्ताक्षरित अभिलेखों यथा–अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों की 01 प्रति सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार कार्यालय में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर/किसी अन्य माध्यम से अथवा आयोग कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर, **निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 29.11.2026 समय सायं 6:00 तक जमा कराना सुनिश्चित करें।** अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम, स्वयं का नाम, अनुक्रमांक, आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का विवरण, पंजीकृत मोबाइल संख्या तथा रजिस्टर्ड ई–मेल का उल्लेख अवश्य अंकित करें।

7. जिन अभ्यर्थियों द्वारा उर्ध्व/क्षैतिज, श्रेणी/उपश्रेणीवार आरक्षण यथा– जाति (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग)/दिव्यांगता/पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड के अनाथ/उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दावा किया है, के प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् हैः–

(i) उर्ध्व/क्षैतिज, श्रेणी/उपश्रेणीवार आरक्षण यथा– जाति (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग)/दिव्यांगता/पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड के अनाथ/उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के शर्तानुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 14.01.2026 तक वैद्या एवं आतिथि समय–समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधानानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(ii) शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 के अनुसार लम्बवत् श्रेणी के अंतर्गत ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका ओ0बी0सी0 आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हो **(ध्यातव्य रहे कि भारत सरकार की सेवाओं हेतु निर्गत ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।)**

(iii) पूर्व सैनिक क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थी का प्रमाण–पत्र अधिसूचना सख्या–133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 एवं आतिथि समय–समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधानानुसार विज्ञापन की शर्तानुसार 14.01.2026 तक निर्गत होना चाहिए।

(iv) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019, दिनांक 05.02 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। अतः लम्बवत् श्रेणी के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण का प्रमाण–पत्र अधिसूचना संख्या–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 में वर्णित प्राविधानानुसार **वित्तीय वर्ष 2024–2025 की आय गणना के आधार पर वर्ष 2025–2026** के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन की **अंतिम तिथि दिनांक 14.01.2026 तक** होना चाहिए।

(v) उत्तराखण्ड अनाथ क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण का प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना सख्या 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के पत्रांक–415/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 एवं आतिथि समय–समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधानानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार 14.01.2026 तक निर्गत होना चाहिए।

(vi) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिये क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण का प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश सख्या 1244/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई, 2005 एवं आतिथि समय–समय पर निर्गत शासनादेश में वर्णित प्राविधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार 14.01.2026 तक निर्गत होना चाहिये।

(vii) दिव्यांगजन क्षैतिज आरक्षण उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थीगण के प्रमाण–पत्र में दिव्यांगता उपश्रेणी एवं दिव्यांगता प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार 14.01. 2026 तक निर्गत होना चाहिये।

(viii) श्रेणी/उपश्रेणीवार आरक्षण से सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में दावित श्रेणी/उपश्रेणीवार, उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित स्वप्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य, अभिलेख सत्यापन के पूर्व विज्ञापन की शर्तानुसार उनके अभिलेखो की जांच करना है, यदि किसी अभ्यर्थी के अभिलेखों में विसंगति पायी जाती है तो उन्हें पंजीकृत ई–मेल/आयोग की वेबसाईट के माध्यम से सूचना यथाशीघ्र प्रेषित कर दी जायेगी, जिससे कि अभिलेख सत्यापन की नियत तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा विसंगतियों का निराकरण किया जा सके।

अतः अभ्यर्थीगण समय–समय पर अपने पंजीकृत ई–मेल/आयोग की वेबसाईट का अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

-Sd-

(अशोक कुमार पाण्डेय)
सचिव।